

13/05/21  
By Mail  
1360  
प्रेषक,

CE(9) AAO

रमेश कुमार सुधांशु प्रमुख अभियन्ता  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या- 338/ 11(2)/ 21-10(एम०एल०ए०)/ 2017 T.C.III

SAC II  
17/5/21

सेवा मे.

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के 02 विभिन्न मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (द्वितीय चरण स्टेज-I) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., पौड़ी द्वारा विषयगत कार्य हेतु संलग्न विवरणानुसार आगणन जिनकी कमश: लम्बाई 5.00 किमी0 एवं लम्बाई 5.00 किमी0 लागत कमश: ₹408.32 लाख एवं ₹304.43 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संतुष्ट है। औचित्यपूर्ण धनराशि कमश: ₹130.99 लाख एवं ₹113.28 लाख कुल ₹244.27 लाख (₹ दो करोड़ चौबालिस लाख सत्ताईस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹0.10 लाख अर्थात् 02 कार्य हेतु ₹0.20 लाख (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निमाकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

- (i) विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैङ्घूल आफ रेट में रखीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (ii) कार्य कराने से पूर्व नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- (iii) प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (iv) ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitale आधार पर अन्य एजेन्टों का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- (v) निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- (vi) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- (vii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (viii) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद

(ix) यदि संलग्न कार्यों में से किसी कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(x) स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुरितका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समर्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(xi) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2022 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

(xii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखापीर्शक-5054 सङ्कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सङ्कों-337 सङ्क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-37/XXVII/(2)/2021 दिनांक 10 मई 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।  
संलग्न: सक्तनानुसार।

भवदीय,


(रमेश कुमार सुधांशु)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-1338 (1)/III(2)/21-10(एम०एस०ए०)/2017 T.C.II तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओवराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी।
4. जिलाधिकारी, टिहरी।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि. पौडी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, शास्त्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, आठवाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, टिहरी।
10. अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लो. नि. वि., कीर्तिनगर।
11. गाई फाईल।

आज्ञा से,

  
(श्याम सिंह)  
संयुक्त सचिव।

1338

संख्या-

/III(2)/21-10(एम०एल०ए०)/2017 T.C.-III दिनांक || मई, 2021 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रु. में)

क्र. स.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वर्ष में अवगुक्त की जा रही धनराशि
1.	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत कीली से मछियारी होते हुए नैखरी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण। (द्वितीय चरण स्टेज-1)	5.00	130.99	0.10
2.	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत सुपाणा धारी मोटर मार्ग से भूपाणी तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण। (द्वितीय चरण स्टेज-1)	5.00	113.28	0.10
			10.00	244.27
				0.20

प्रायुक्त अधिकारी पद विभागाध्यक्ष  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)

(स्थाम सिंह)  
संयुक्त सचिव।

प्र० ४०८०७ - २१ - ५०२ / २०मात्रा क/२०२१ फि १९/०५/२०२१

प्रतिक्रिया-निविसित को उपरोक्तानुसार प्र० ४०८०७ का निवारण किया गया।

① युवराज अधिकारी लो.पि.वि, प्र०८०८०७

② युवराज अधिकारी लो.पि.वि, प्र०८०८०७

③ युवराज अधिकारी अधिकारी लो.पि.वि, कीर्तिनगर

④ युवराज अधिकारी अधिकारी लो.पि.वि, राज्य विभागाध्यक्ष कामी. लो.पि.वि, देहरादून

⑤ युवराज अधिकारी (प्रायुक्त) / लो.पि.वि, विभागाध्यक्ष कामी. लो.पि.वि, देहरादून

आर० सी० एस० पंकज  
दिल्ली प्रशासनिक अधिकारी